न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 04 / 2022

थानाधिकारी पुलिस थाना कॉमा, जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1—गाडी मालिक व चालक जीतेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र श्री बदनसिंह जाति धीमर उम्र 26 साल निवासी कच्चा बाग पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर
2—गजेन्द्र पुत्र श्री डूँगर सिह जाति धीमर उम्र 31 साल निवासी कच्चा बाग पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 424 / 2022 धारा 5 / 8 में जप्त वाहन के बाबत।

उपस्थित :—
1—ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,
2—श्री महेशचन्द सोगरवाल, अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय दिनांक 30.11.2022

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना कामां जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) इस आश्य का पेश किया गया, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.7.2022 को दौराने नाकाबन्दी एक पिकअप रजि0 न0 आर.जे. 05जीबी 7788 कांमा की ओर से मुंगास्का की ओर आती दिखाई दी इस पर नामाबन्दी कर पकड़ा और चैक किया गया तो उक्त पिकअप में 6 गौवंश (3गाय व 3 बछडा) भरे हुए थे, गाडी में दो व्यक्ति जीतू एवं गजेन्द्र बैठ हुये थे। पिकअप गाडी के अन्दर क्रूरता से ठूस ठूस कर गौंवश भरा हुआ था जिन्हें गौकशी हेतु परिवहन कर राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों में होकर गौकशी हेतु उत्तर प्रदेश से हरियाणा को ले जाया जाना साक्ष्यों से स्पष्ट है। गौंवश के परिवहन सम्बन्ध में रम्मना व लायसेन्स मांगे गये तो कोई लायइसेंस व

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

रमन्ना होना नहीं पाया गया, उक्त दोनों मुलजिमानों का यह कृत्य अपराध धारा 5/8 आबीए एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने पर उक्त दोनों मुलजिमानों को जुर्म उपरोक्त में जरिये फर्द गिरफतारी हस्बकायदा गिरफतार किया गया व पिकअप में भरे हुऐ गौंवश की पृथक से फर्द जप्ती तैयार की गई व पिकअप गाडी आरजे 05 जीबी 7788 जिसके इंजन नम्बर टीबीएल 4बी 82733 चैसिस नम्बर एम ए 1 जेड आर2 टीबी के एल 5 बी 16739 हैं को जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया तथा गौवंश का राजकीय पशु चिकित्सक से मैडिकल कराया जाकर गौवंश को श्री कृष्ण गौशाला कलावटा में दाखिल किया गया। प्रकरण में धारा 6 (ए) आरबीए एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी वाहन मालिक की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत वाहन सुपुर्दगी हेतु पेश किया गया है। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित आये उन्हें प्रार्थना पत्र प्रकरण धारा 6ए गौवंश अधिनियम की नकल दी गई । अभिभाषक अप्रार्थी ने कोई जबाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सुपुर्दगी पर बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से ए.पी.पी. ने अपनी बहस में हमारा ध्यान थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना कांमा जिला भरतपुर ने दौराने नाकाबन्दी दिनांक 18.7.2022 को उक्त जप्त गाडी बोलरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे.05 जीबी 7788 को रोक कर चैक किया गया वाहन में 6 गौवंश (3 गाय व 3 बछडा) को वेहरमी ठूस ठूस कर भर रखा था, अप्रार्थी0 उक्त वाहन से गौवंश को परिवहन कर राजस्थान सीमा से उत्तर प्रदेश होते हुये हरियाणा राज्य में ले जाया जा रहा था। ए.पी.पी. का यह भी तर्क है कि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/परमिशन के राजस्थान राज्य सीमा से अन्य राज्य उत्तर प्रदेश एंव हरियाणा प्रान्त में गौंवश को उक्त वाहन से परिवहन करने का अपराध 5/8 गौवध अधिनियम की तारीफ में आना पाये जाने पर इसके खिलाफ थाना हाजा में एफआर 424/2022 5/8 दर्ज की गई। माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कांमा भरतपुर द्वारा गैरसायलान गजेन्द्र व जीतू उर्फ जीतेन्द्र जमानत रिहा किया हुआ है। अप्रार्थीगण की ओर से श्रीमान न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई स्वीकृति पेश नही की गई है जिस से गौवंश का परिवहन वैध माना जासके। अप्रार्थीगण का यह कृत्य अपराध धारा 5/8 एवं धारा 6ए के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः गौंवश परिवहन में लिप्त जप्त वाहन बोलरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे.05 जीबी 7788 को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी जप्त वाहन बोलरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे.05 जीवी 7788 का मालिक है। उक्त वाहन को पुलिस थाना कांगा जिला भरतपुर ने गौवंश तस्करी में गलत जप्त किया है, योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 का तर्क है कि दिनांक 18.7.2022 को प्रार्थी अपने उक्त वाहन से पशु हाट जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर से फज्जर सोमका की दुधारु तीन गाय व तीन वछड़ों को भाड़े में लेकर उसके गांव छोड़ने गया था, जिसका गेटपास रसीद संख्या 44 दिनांक 18.7.2022 कटवाया गया था। वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है जिससे वाहन के खराव होने की पूर्ण संभावना है। जप्त वाहनों की पुलिस थाना को अव कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यों हेतु उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। जप्त वाहनों को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। **उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :–**

> ".....जव कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंवधित है..... ।"

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 **की धारा 11 :–**

> "Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं।

1–क्या जप्त वाहन से गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन किये जाने लिप्त था ?

2–क्या अप्रार्थी0 वाहन मालिक के पास गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर ले जाने का सक्षम अधिकारी का परमिट था?

1 व 2 – राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राजस्थान राज्य की सीमा के किसी भी स्थान से अन्य राज्य में किसी भी स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। थाना अधिकारी कांमा जिला भरतपुर

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

(राजस्थान) ने दिनांक 18.7.2022 उक्त वाहन बोलरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 05 जीबी 7788 को दौराने गश्त रोक कर चैक किये जाने पर वाहन में (तीन गाय व तीन बछड़ों) गौवंशीय पशु को राजस्थान की सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन करते हुये जप्त किया गया है। उक्त जप्त वाहन में 06 गौंवश को वेहरमी से ऊपर नीचे पटकर भर रखा था। उक्त गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से उत्तर प्रदेश होते हुये परिवहन कर हरियाणा ले जाया रहा था।

अप्रार्थी. की ओर से हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज या गौवंश को राजस्थान सीमा से बाहर गौवंश ले जाने की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोई स्वीकृति पेश नहीं की गई है। जहां तक प्रश्न अप्रार्थी. की ओर से प्रस्तुत रसीद संख्या 40 दिनांक 18.7.2022 तादाती 55/– रुपये का है यह रसीद जिला पशु क्रूरता निवारण समिति भरतपुर मेला ग्राउण्ड में पशु हाट स्थल पर प्रवेश होने पर 55/– रुपये की टोल के रुप में वसूल कर जारी की गई है, उक्त कथित रसीद से अप्रार्थी को राजस्थान राज्य सीमा से अन्य राज्य की सीमा में गौंवशीय पशु को परिवहन करने की अनुमति नहीं मानी जा सकती है बल्कि मुताविक संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर के पत्र कमांक/ 29258 दिनांक 28.11.2022 के पशु हाट स्थल पर प्रवेश होने पर टोल के रुप में वसूल की गई 55/–रुपये की रसीद है, जो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से मदद नहीं करती है। इस प्रकार प्रार्थी थाना अधिकारी कांमा द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधि0 के साथ प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर., फर्द जप्ती गौवंश, जप्ती वाहन, फर्द पुछताछ, फर्द मौका नक्शा एवं बयान मौका गवाहन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन संख्या आर.जे.05 जीबी 7788 गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाया गया है। पुलिस थाना गोपालगढ द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ गौवंश को राजस्थान सीमा से हरियाणा परिवहन करते हुये गिरफतार किया जाकर इसके विरुद्व धारा 5, 8 गौवंश अधिनियम के तहत एफआइआर नम्बर 424/2022 दर्ज की गई है। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन बोलरो पिकअप संख्या आर.जे. 05 जीबी 7788 गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

6(ए) स्वीकार किया जाता है तथा जप्त वाहन राजसात (confiscate) है।

अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये वाहनों को राजसात (confiscate) किये जाने से पूर्व वाहन मालिक प्रार्थी को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर वाहन वाहन संख्या आर.जे.05 जीबी 7788 पर जुर्माना (Fine) राशि 300000 / – (तीन लाख रुपये,बीमा के आधार पर) राशि राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना कांमा, जिला भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर